राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रपत्र

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 के अर्न्तगत
संस्था पंजीकृत कराने हेतु

आदर्श
विधान (नियमावली)
तथा
संघ विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :–

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ के विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्धेश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत ही मान्य होगा ।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये बढाए जा सकते है। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते है।
3. संस्था के उद्धेश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा की जाी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें यह भी ध्यान रखे कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेंगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नही होने चाहिये।

8. अनावश्यक को काटकर लघु हस्ताक्षर करे।

धारा –20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण कियाजा सकेगाः–
पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएॅ

सैनिक अनाथ निधियां '' खादी और ग्रामोद्योग''

साहित्य,विज्ञान या ललितकलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएं,सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के लिए पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य कलाकृतियों की दीर्घाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थायें,प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों,उपकरणों या डिजाइनों के लिए स्थापित संस्थायें।

––––

––––––––––––––––––समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान–पत्र

1.संस्था का नामः– इस संस्था का नाम ––––––––––––––––
समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2.पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत

तथा कार्यक्षेत्र ----क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्धेश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य हैः–

1————————————————————————

2————————————————————————

3————————————————————————

4———————————————————————

5.—————————————————————

6————————————————————————

7————————————————————————

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैः–

क.सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8				
9				
10				
11				

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता,जिनके नाम,व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अर्न्तगत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैः–

कम संख्या	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नही है।

1.हस्ताक्षर 2 हस्ताक्षर

(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता) (नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)

—————————————समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

विधान नियमावली

1.संस्था का नामः— इस संस्था का नाम ——————————————

समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

2.पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय————————है——

कार्यक्षेत्र —————क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्धेश्यः— इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य हैः—

——————————————————————————————————————

1————————————————————————————————

2————————————————————————————————

3————————————————————————————————

4————————————————————————————————

5————————————————————————————————

6————————————————————————————————

7—————————————————————————————————————

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4.सदस्यता :— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे

संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

बालिग हो।

पागल,दीवालिये न हो।

संस्था के उद्धेश्यों में रु5. चि व आस्था रखते हों।

संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

5.सदस्यों का संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगेः—

वर्गीकरण 1. सरंक्षक

विशिष्ठ

सम्माननीय

साधारण

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

6.सदस्यों द्वारा उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा

प्रदत्त शुल्क निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगाः—

व चन्दा

संरक्षक राशि———— वार्षिक/आजन्म

विशिष्ठ राशि———— वार्षिक/आजन्म

सम्माननीय राशि —— वार्षिक

साधारण राशि —————वार्षिक

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रू0 —————————

मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :— संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—

मृत्यु होने पर

त्याग पत्र देने पर

संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर

प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर –अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. साधारण सभाः– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निमार्ण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे–

प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

वार्षिक बजट पारित करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये की समीक्षा करना।

संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें :– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर

विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

साधारण की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।

बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, केलिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये

जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11.कार्यकारिणी का गठनः– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकप्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा,

जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

अध्यक्ष– एक

उपाध्यक्ष– एक

मंत्री– एक

कोषाध्यक्ष– एक

सदस्य– सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहे तो कम रख ले।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्यकुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेंगा।

2. चुनाव प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेंगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तवयः–संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगेः–

सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

वार्षिक बजट तैयार करना।

संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

14. कार्यकारिणी बैठकें:–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम –– बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी बुलाई जा सकती है।

2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या

के आधें से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी।लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे,जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।इस सभा कीकार्यवाही की पुष्ठि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्यः– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्षः

बैठकों की अध्यक्षता करना।

मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना

बैठकें आहूत करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रइदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. मंत्रीः

बैठकें आहूत करना।

कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।

वैतनिक कर्मचारियों पर नियंन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

पत्र व्यवहार करना।

सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

4. उप मंत्रीः

मंऩी की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौपे जावें।

5– कोषाध्यक्षः

वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोषः–संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः–

चन्दा

शुल्क

अनुदान

सहायता

राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा जायेंगी।

अध्यक्ष/मंन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारः– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगेः–

अध्यक्ष——————————रू0

मंन्त्री———————————रू0

कोषाध्यक्ष———————— रू0

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षणः— संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धनः— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदसयों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटनः— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेंगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण :— रजिस्ट्रार संस्थाएं———————— को संस्था के रेकार्ड लेखे जोखेके निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ——————————समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष मंन्त्री कोषाध्यक्ष

शपथ पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था---------- के शपथ पूर्वक घोषणा करते है किः-

हमारी प्रस्तावित संस्था-----के पंजीयन हेतु कुल--- आवेदक सदस्य है।

हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नही है!आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्धेश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/ पदाधिकारी नही है।

प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु संख्या 2 व 3 के अर्न्तगत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।

धारा 3 में वर्णित उद्धेश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 की धारा 20 के अर्न्तगत आते है,के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्धेश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नही होगा।

प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां,व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु न तो गठित ही की गई है और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण्र होगा।

प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नही करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।

यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाएॅ,------- को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्ध करने का अधिकारी होगा ।

भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 7 में अंतिक तथ्यों के विपरित कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार,संस्थायें,―――――― को इस संस्था का पंजियन रद्ध करने करने का अधिकार होगा ।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते है कि बिन्दु सं.1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नही गया। उपरोक्त तथ्यों के विपरित कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार,संस्थायें―――――― को पंजीयन रद्ध करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

नोट― यह शपथ पत्र 5/― के स्टाफ पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा ।